

राजस्थान सरकार

निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएँ

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/212084-091

जयपुर,दिनांक: 13/12/18

बाल विकास परियोजना अधिकारी,  
समेकित बाल विकास सेवाएँ,.....।

विषय:- अतिरिक्त बजट आवंटन वर्ष 2018-19 बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए आई.सी.डी.एस. सामान्य अंतर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त प्रत्याहरण/आवंटन किया जाता है:-

मांग संख्या-30
2236- पोषण
02- पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण
197- ब्लॉक पंचायत/मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों को सहायता
(03)- समेकित बाल विकास सेवाएँ विभाग के माध्यम द्वारा
[02]- ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय जनजाति क्षेत्र उपयोगना (केन्द्रीय सहायता/राज्य निधि)

(राशि लाखों में)

क. सं.	नाम कार्यालय	उपमद	बजट मद	पूर्व आवंटन	प्रत्याहरण/ अति.आवंटन	कुल आवंटन
1	बाविपअ, कुशलगढ	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	4.00	14.00
			राज्य निधि	30.00	12.00	42.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.40	0.10	0.50
2	.. अरथूना	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	0.00	1.00	1.00
			राज्य निधि	0.00	3.00	3.00
			राज्य निधि-ब	0.00	3.00	3.00
3	.. गिर्वा	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	10.00	5.00	15.00
			राज्य निधि	30.00	15.00	45.00
			राज्य निधि-ब	40.00	10.00	50.00
		05. कार्यालय व्यय	राज्य निधि-ब	0.50	0.05	0.55
		20. वाहन संधारण	केन्द्रीय सहायता	0.24	0.12	0.36
			राज्य निधि	0.16	0.08	0.24
4	.. बिछीवाडा II विलापित IFMS पर आनंटन 30/11/18 से पूर्व क्रिया जा चुका है।	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	17.44	5.00	22.44
			राज्य निधि	52.31	15.00	67.31
		42. प्रोत्सा.व मानदेय	केन्द्रीय सहायता	83.03	9.00	92.03
			राज्य निधि	55.35	6.00	61.35
5	.. डूंगरपुर	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	40.00	-5.00	35.00
			राज्य निधि	100.00	5.00	105.00
6	.. प्रतापगढ	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	25.00	-7.00	18.00
			राज्य निधि	75.00	-21.00	54.00
7	.. आनंदपुरी	01. संवेतन	केन्द्रीय सहायता	20.00	-4.00	16.00
			राज्य निधि	60.00	-12.00	48.00

उक्तानुसार आवंटित राशि का उपयोग आरटीपीपी एक्ट 2012, आरटीपीपी रूल्स 2013 एवं सामान्य वित्तीय लेखा नियमों के अनुसार मैचिंग शेयर के अनुपात एवं विभाग के द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करें।

वित्तीय प्रशाहकार

जयपुर, दि: 13/12/18

क्रमांक:-एफ-2( )बजट/अति.आंव./ICDS/18/212092-097  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, संबधित।
2. एसीपी, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

वित्तीय प्रशाहकार